



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या-8बी/यू.पी./06/26/2019/एफ.सी. 137

दिनांक: 10.04.2019

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/35115/2018)

विषय: जनपद-अम्बेडकरनगर में माईओन ईको एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0-30) के किमी0 166 से 167 के मध्य दांयी पटरी पर स्थित गाटा सं0-327मि, ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-पी-3/14-2-2019-800(9)/2019, लखनऊ, दिनांक-08.03.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-पी-3/14-2-2019-800(9)/2019, लखनऊ, दिनांक-08.03.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद-अम्बेडकरनगर में माईओन ईको एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0-30) के किमी0 166 से 167 के मध्य दांयी पटरी पर स्थित गाटा सं0-327मि, ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रस्ताव में संलग्न किए गए FRA certificate में status of rights of pre agricultural forest dwelling communities & Primitive Tribes का उल्लेख नहीं है, जिसे संशोधित करते हुए प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उर्पयुक्त वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
6. स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
8. पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्प्लेक्स जिसमें सभी जनसुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जाएगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
10. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति० वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू वृत्त, फैजाबाद।
5. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अम्बेडकरनगर वन प्रभाग, अम्बेडकरनगर।
7. टेरीटरी मैनेजर, माई ओन एनर्जी प्रा०लि०, 307-308, साईबर हाइट्स, 3 तल, इन्दिरा नगर गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रत्रावली।

(के० के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}